न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः—रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

करण सख्याः— 58/2015

1. दाखा बाई पुत्री धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल।
2. बद्री बाई पुत्री धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल।

..... प्रार्थीया

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र धन्नलाल जाति कुम्हार निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल।
2. सुरजमल पुत्र धन्नलाल जाति कुम्हार निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

वकील प्रार्थी : श्री अजीत कुमार जैन

वकील अप्रार्थी : श्री दयाकृष्ण धाकड

दायरा दिनांकः 05.10.2015 निर्णय दिनांक : 29.06.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की स्थायी निवासी है प्रार्थीया के शामालाती खाते की पेतृक आराजी ग्राम सीसवाली में स्थित है जिसके खसरा नं. 2012 रकबा 0.70 हे0, खसरा नं. 4195 रकबा 0.19 हे0, खसरा नं. 4196 रकबा 0.30 हे0, खसरा नं. 4371 रकबा 1.11 हे0, खसरा नं. 4372 रकबा 0.74 हे0, खसरा नं. 4373 रकबा 0.59 हे. खसरा नं. 4374 रकबा 0.50 हे0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.86 हे0 भूमि स्थित है। जिसमें रामनार्थी बेवा धन्नालाल फोत हो चुकी है तथा उनके वारिसान कायम मुकामात रेकार्ड पर दर्ज हो चुके है। जो वर्तमान जमाबन्दी में अंकित है। जिसमे प्रत्येक वादीनी का हिस्सा 1/6 सम्पूर्ण खाते में दर्ज है। जिसमे अप्रार्थीगण काश्त करने मे दखलान्दाजी करते है और प्रार्थीया उनके हिस्से को दिनांक 26.06.2015 को जब अपने हिस्से की भूमि को हाकने गयी तो अप्रार्थीगण हाथों में लकडिया लेकर सामने आ गये ओर यह कहा कि जमीन पर पेर रखा तो जान से खत्म कर देगे। दोनो प्रार्थीया महिला होने के कारण लडाई—झगडा करने से डरती है। तथा अपने अधिकार व खाते की भूमि को काश्त करने में असमर्थ होने से संविधान में वर्णित अधिकार व टेनेन्सी एक्ट में मुताबिक अपने हिस्से में काश्त करने से रोकने के लिए न्यायालय से अप्रार्थीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर पाबन्द करवाया जाना आवश्यक हैं जिसमे प्रार्थीया अपने हिस्से 1/6 मे का काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके जिसके प्रार्थीया अधिकार व नालिसी है। प्रार्थीया महिलाऐं होने के कारण हर समय अप्रार्थीगण से अपने हिस्से के लिए वाद—विवाद नही कर सकती तथा आऐ दिन होने वाले विवादो से बचने के लिए प्रार्थीया अपने हिस्से को अप्रार्थीगण से पृथक दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थीया खातेदान कृषक दर्ज होने से अप्रार्थीगण को यह अधिकार प्राप्त नही है कि वह प्रार्थीया को उनके हिस्से को काश्त करने से रोके इसलिए प्रर्थीया अप्रार्थीगण के खिलाफ ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी व नालिसी है। यह कि अन्य कारण दौराने बहस मौखिक निवेदन किये जायेगे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 15.10.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत न किये जाने पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

वकील पक्षकार की बहस सुनी गयी । बहस में वकील पक्षकारने उन्ही तथ्यों को दोहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण कम 1 व 2 जो कि सहखातेदार है, के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की चाही गई है कि अप्रार्थीगण कम 1 व 2 के हिस्से की भूमि हिस्सा 1/6–1/6 में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे एवं प्रार्थीया को शांति पूर्वक काश्त करने देवे। चुकि अप्रार्थीगण कम 1 व 2 रिकार्डेड सहखातेदार है। वर्ष 1960 RRD के पेज 80 में न्यायालय निर्णयो में स्थापित सिद्धांतो के अनुसार एक सह अभिधारी के विरूद्ध अस्थायी आदेश जारी नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष में नही बनता है।
2. **अपूर्णनीय क्षति** : चूंकि प्रार्थीया पैतृक आराजी में रिकॉर्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के हिस्से की आराजी भूमि को रहन–बेचान नही कर सकते है। ऐसी स्थिती में अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित नही होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में साबित नही होता है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित नही होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, बहस एक पक्षीय, राजस्व रिकोर्ड के आधार पर एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के अभिनिर्धारण हेतु आवश्यक तीनो बिन्दूओ पर विचार करने के पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner